प्रश्न सं. [क्र. 22]

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 22 तारांकित के प्रश्नांश- 'ग' की जानकारी का पत्रक

प्रश्नकर्ता सदस्य- श्री महेन्द्र हार्डिया

परिशिष्ट-'अ'

नर्मदा प्रथम चरण अंतर्गत वर्ष 1978 में सर्वप्रथम इंदौर शहर में नर्मदा जलापूर्ति प्रारंभ हुई थी। इसके उपरांत वर्ष 1994 में नर्मदा द्वितीय चरण अंतर्गत योजना का आर्वधन किया गया। प्रथम व द्वितीय चरण की कुल क्षमता 180 एम.एल.डी है।

वर्ष 2006-2010 में प्रोजेक्ट-उदय अंतर्गत ए.डी.बी से ऋण लेकर नर्मदा तृतीय चरण क्षमता 360 एम.एल.डी का क्रियान्वयन किया गया। यह योजना वर्ष 2024 तक 33 लाख जनसंख्या हेतु रूपांकित की गई थी।

शहर का लगातार विकास होने तथा वर्ष 2014 में 29 ग्रामों का निगम सीमा में विलय होने से लगातार जलवितरण क्षेत्र का विस्तार हुआ है। किन्तु जलप्रदाय की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। इस क्रम में वर्ष 2016-17 के पश्चात अमृत 1.0 योजना अंतर्गत 27 नवीन टंकियों का निर्माण व 1000 कि.मी. जलवितरण लाईन बिछायी गयी है।

अत: जलवितरण क्षेत्र के विस्तार होने किन्तु शहर में होने वाली जलापूर्ति की मात्रा में तृतीय चरण के बाद वृद्धि नहीं होने के कारण प्रतिदिन जलापूर्ति की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। इसके लिये किसी को दोषी नहीं माना जा सकता है।

वर्तमान में अमृत 2.0 योजना का क्रियान्वयन किया जाना है, जिसके अंतर्गत 400 एम.एल.डी अतिरिक्त जलापूर्ति की जायेगी। इसके क्रियान्वयन में 2.5 से 3 वर्ष की अवधि संभावित है। इसके उपरान्त शहर के साथ विधानसभा क्षेत्र क्र. 5 में भी जलवितरण में भी सुधार परिलक्षित होंगे।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग